

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 6 / 2022 . (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है ।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री महावीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह (ऋणी- बंधककर्ता )  
पता- वार्ड नं. 13, मोमिन मोहल्ला, खान की झोंपडियां, पलायथा, अंता जिला बारां  
राजस्थान- 325202  
दूसरा पता- पट्टा नं. 6157, खान की झोंपडियां, तहसील अंता जिला बारां  
राजस्थान- 325202
2. श्री राहुल सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह (सह-ऋणी )  
पता- वार्ड नं. 13, मोमिन मोहल्ला, खान की झोंपडियां, पलायथा जिला बारां  
राजस्थान- 325202

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 31/5/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30 जनवरी 2019 को 5,50,000/- रुपये (अक्षरे पांच लाख पचास हजार रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे श्री महावीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 6157, खान की झोंपडियां तहसील अंता जिला बारां राजस्थान-325202 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2368 स्क्वायर फुट है, एवं चतुर्भुज सीमा- पूर्व में हनिफ भाई का मकान, पश्चिम में प्रताप सिंह का मकान, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में हाफिज मोहम्मद का मकान है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके ऋण का मूल्य 5,84,040/- (अक्षरे पांच लाख चौरासी हजार चालीस रुपये) बकाया राशि दिनांक 03.02.2020 तक शेष देय है व दिनांक 05.03.2020 से आगे का ब्याज व मय खर्च आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के

जिला मजिस्ट्रेट  
बारां

अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार कमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" में दिनांक 09.06.2020 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 09.06.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री महावीर सिंह पुत्र श्री रामसिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 6157, खान की झौंपडियां तहसील अंता जिला बारां राजस्थान-325202 है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2368 स्क्वायर फुट है, एवं चतुर्थ सीमा- पूर्व में हनिफ भाई का मकान, पश्चिम में प्रताप सिंह का मकान, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में हाफिज मोहम्मद का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 9/5/22 को सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला मजिस्ट्रेट  
बारां